प्रकरण संख्या 40 / 2019 RCMS ID-2019 / 00139 तारीख रजु 02.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलाण्ट

बनाम

भजनसिंह पुत्र बंशी जाति गुर्जर निवासी खूण्डा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि न्याय अनुभाग, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय करौली द्वारा दिनांक 04.02.2015 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है किन्तु श्री भजनसिंह पुत्र बंशी जाति गुर्जर निवासी खूण्डा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के आदेश दिनांक 04.02.2015 से क्रम संख्या 1 लगायत 30 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था जिसमें श्री गुर्जर का नाम क्रम संख्या 27 पर अंकित है। इस निर्णय के खिलाफ श्री गुर्जर द्वारा अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने श्री गुर्जर को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 23.05.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर श्री गुर्जर को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

श्री गुर्जर ने बह में कथन किया है कि वह 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो तत्कालीन समय में बीमार हो जाने के कारण अपना शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं करवा पाया। स्वस्थ होने पर उसने दिनांक 12.05.2015 को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवा दिया था। समय पर शस्त्र को जमा नहीं करवा पाने के कारण श्री गुर्जर ने क्षमा याचना की है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा पर हथियार थाने में जमा नहीं कराने पर अन्य अनुज्ञापत्रों के साथ इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्रांक–ल–1( )श.अ. नवीनी / सामान्य / 2016 / 3879 दिनांक 01.07.2016 द्वारा श्री गुर्जर के शस्त्र लाइसेन्स को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री गुर्जर स्वयं उपस्थित हुआ जो एक वृद्ध व्यक्ति है जो

तत्कालीन समय में बीमार होने के कारण अपना शस्त्र समय पर संबंधित थाने में जमा नहीं करवा पाया। स्वस्थ होने पर श्री गुर्जर द्वारा शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करवा दिया गया है। अतः हम श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 04.02.2015 क्रम संख्या 27 पर अंकित श्री भजनसिंह पुत्र बंशी जाति गुर्जर निवासी खूण्डा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं श्री गुर्जर का शस्त्र प्राधिकार पत्र संख्या 52/B:L/BOM/1965 बहाल किया जाता है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:00:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: